EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 1979—1984

Dated : 21-9-2002

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा-शुल्क विभागीय समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. विशेष उपबंध.—(1) प्रत्येक कमीशनरी का, जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित न किया जाए, अपना स्वयं का पृथक काडर होगा ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, कमीशनरी या विभाग में किसी पद को, उसी या सदृश पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा भरे जाने के लिए, जो अन्य कमीशनरी या विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किसी कार्यालय के काडर के हों, आदेश द्वारा विहित कर सकेगा ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
अवर श्रेणी लिपिक	717* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.

चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	(1) 50 प्रतिशत रिक्तियां, ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे हवलदारों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिनके पास मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता है और उन्होंने किसी आयु-सीमा के बिना उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है ।

HRM-I/Pol/RR/OTH/[redacted]22-Pol/RR-O/o ADG-HRM-I-DGHRD-Delhi
741542/2022/Ad-IIIB Section
839/1165

12

(ii) 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे सिपाहियों और हवलदारों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिनके पास मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता है और उन्होंने सिपाही, हवलदार की श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है तथा किसी विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

टिप्पण : (क) परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष);

(ख) खंड (ii) के अधीन किसी विशिष्ट वर्ष से संबंधित न भरी गई रिक्तियों को अग्रनित नहीं किया जाएगा;

(ग) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे अधिक संख्या में कर्मचारियों पर, पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि किसी पूर्वतर परीक्षा में अर्हताप्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके जो पश्चात् कथित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (I) एकल कमीशनरी अर्थात् जिन कमीशनरियों का कोई सम्मिलित काडर न हो (i) मुख्यालय के कार्यालयों में ज्येष्ठतम अपर आयुक्त—अध्यक्ष (ii) उपायुक्त मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय में)—सदस्य (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क उपायुक्त—सदस्य (iv) उप/सहायक आयकर आयुक्त—सदस्य टिप्पण : जहां क्रम सं. (i) से (iv) में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न हो तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विभाग से बाहर के एक समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।	लागू नहीं होता

13		
(II) संयुक्त कमीशनरी अर्थात् सम्मिलित काडर वाली दो या दो से अधिक कमीशनरी :— (i) प्रत्येक कमीशनरी से ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (उनमें से ज्येष्ठतम अधिकारी)—अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रक कमीशनरियों के मुख्यालयों का उपायुक्त, जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय में)—सदस्य (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क उपायुक्त—सदस्य (iv) उप/सहायक आयकर आयुक्त—सदस्य टिप्पण : जहां क्रम सं. (i) से (iv) में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न हो तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विभाग से बाहर के एक समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।		

[फा.सं. ए–12018/5/2002–प्रशा. III-बी]
वाई.पी. वशिष्ठ, अवर सचिव/प्रशा.-III

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2002

G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group 'C' Post Recritment Rules, 1979, the President hereby makes the following rules regulating the method of recriutment to the posts of Lower Division Clerk in the Central Excise and Customs Department, Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Name of posts, number of posts, classification and scale of pay .—The name of post, the number of said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Special Provision.—

(3) Each Commissionerate shall have its own separate cadre unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Board of Excise and Customs may, if it considers necessary or expedient in the public interest so to do, and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reseaon to be recorded in writing, order any post in the Commissionerate or Deapartment to be filled by transfer of persons holding the same or analogous posts but belonging to the cadre of another Commissionerate or Department or office under Central Board of Excise and Customs.

4. Method of recruitment, age limits, other qualification etc. .—The method of recruitment age limits, ualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

...ic ...ted	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post
	2	3	4	5
	717* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable

...years ... Rule	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
	7	8	9
	Not applicable	Not applicable	Not applicable

...d of recruitment whether ...rect recruitment or by pro...ion or by deputation/absor...n and percentage of posts ...e filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made
11	12
...0 per cent by promotion	(i) 50 per cent of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars on the basis of seniority-cum-fitness who possess Matriculation or an equivalent qualification as per recognized Board or University and have rendered 5 years' regular service in the grade, without any age limit. (ii) 50 per cent of vacancies shall be filled up by promotion from amongst Sepoys and Havaldars who possess Matriculation or an equivalent qualification as per recognized Board or University and have rendered 5 years' of service in the grade of Sepoy, Havaldar and feeder cadres thereto on the basis of a Departmental qualifying examintation with typing test with minimum speed of 30 words per

12
minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.
Note : (a) The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the Scheduled Cast/Scheduled Tribe);
(b) The unfilled vacancies pertaining to a particular year under clause (ii) shall not be carried over.
(c) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a letter examination.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Pu[illegible] Service Commission is to be consu[illegible] in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (I) Single Commissionerate i.e. Commissionerates having no common cadre :— (i) The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office —Chairman (ii) The Deputy Commissioner Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (at Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting —Member (iii) The Deputy Commissioner of Central Excise/Customs —Member (iv) Deputy Assistant Commissioner of Income Tax —Member Note : Where none of the member at serial No (i) to (iv) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre:— (i) The senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them would be the —Chairman (ii) The Deputy Commissioner Headquaters of the cadre controlling Commissionerates falling which any other senior most Deputy Commissioner (Headquaters) available at the time of Departmental Promotion Committee Metting —Member (iii) The Deputy Commissioner of Central Excise/Customs —Member (iv) Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax —Member Note : Where none of the member at serial No. (i) to (iv) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

[F. No. A-12018

Y. P. VASHISHAT, U

MGIPRRND—2860 Fin./2002—30-9-2002—C.R.—I—200.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930

No. 96] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 112(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग अवर श्रेणी लिपिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, स्तंभ 12 के अधीन, विद्यमान 'टिप्पण' को "टिप्पण 1" के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित "टिप्पण 1" के पश्चात्, निम्नलिखित "टिप्पण 2" जोड़ा जाएगा :—

टिप्पण 2 :—"यदि विशिष्ट वर्ष के संबंध में प्रोन्नति के लिए ऊपर वर्णित काडर में से कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उस काडर में आवंटित भरी न गई रिक्तियां, ऊपर वर्णित अनुपात के होते हुए भी, अन्य काडरों के अर्हित व्यक्तियों में से भरी जाएंगी।"

[फा. सं. सी-18013/66/2003-प्रशा. III (बी)]

के. के. खट्टर, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 377, तारीख 21 सितम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 78(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 तथा सा.का.नि. 73(अ), तारीख 15 फरवरी, 2005 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2009

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Excise and Customs Department, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department, Lower Division Clerk Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Excise and Customs Department, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2002, under column 12, the existing "Note" shall be renumber as "Note 1" and after as renumbered "Note 1" the following "Note 2" shall be added :—

Note 2 :—"If no suitable candidate is available from the cadre mentioned above for promotion for the particular year, the unfilled vacancies allotted to that cadre shall be filled up from among the qualified persons from the other cadres, notwithstanding the ratio mentioned above."

[F. No. C-18013/66/2003-Ad. III (B)]

K. K. KHATTAR, Under Secy.

Note :—The principle rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 377, dated the 21st September, 2002 and subsequently amended *vide* G.S.R. 78(E), dated the 28th January, 2004 and G.S.R. 73(E), dated the 15th February, 2005.

718 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.